आदेश की क्रम सं0 और तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह।

(Email id-dccourt.grd@gmail.com)

अधिहरण वाद सं0—09/2023

राज्य–बनाम–परमेश्वर वर्मा (मुफ्फसिल थाना कांड सं0–288/23)

07/06/24

अभिलेख उपस्थापित। पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक–8741/अप0शा0 दिनांक 06.12.2023 के आलोक में मुफ्फसिल थाना कांड सं0–288/23, दिनांक 13.09.2023, धारा–379/411/34 भा0द0वि0, 21(1)/21(6)/22 खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समानुदान नियमावली–2004 एवं 3 सार्वजनिक सम्पति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 में अनुसंधानकर्त्ता द्वारा जप्त ट्रैक्टर 1. ट्रैक्टर ENGINE NO-391345/MK004791, CHASSIS NO-QUTL30405006984 के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर पुलिस अधीक्षक द्वारा जप्त उक्त ट्रैक्टर के विरूद्ध राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने की अनुशंसा की गई है।

उक्त के आलोक में अधिहरण वाद सं0 09/2023 राज्य–बनाम–परमेश्वर वर्मा(मुफ्फसिल थाना कांड सं0 288/23 में जप्त वाहन) का संधारण कर सुनवाई प्रारंम्भ की गई। अद्योहस्ताक्षरी के न्यायालय में संधारित अधिहरण वाद सं0 09/2022 में पारित आदेश के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P.(Cr) No. 1212 of 2023 सीता राम महतो एवं अन्य बनाम राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.2024 की कंडिका–6 जो निम्नवत् है:– *"In view of law declared by the co-ordinate Bench of this Court, the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate is not a competent authority to pass the order of confiscation. Accordingly, the order dated 03.11.2023 passed by the Deputy Commissioner-cum-District Magistrate, Giridih in Confiscation Case No. 09 of 2022 is, hereby, quashed and set aside and the matter is remitted back to the learned court below who has taken cognizance, to pass an appropriate order in accordance with law."*

उक्त न्यायादेश के आलोक में इस (अधिहरण वाद सं0 09/2023 राज्य–बनाम–परमेश्वर वर्मा, मुफ्फसिल थाना कांड सं0 288/23) वाद को Drop(समाप्त) किया जाता है।

उभय पक्षों को आदेश से अवगत कराया जाय।

लेखापित एवं संशोधित,

07/06/24

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

07/06/24

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

ज्ञापांक 441 /न्या0 दिनांक 7/6/2024

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक–8741/अप0शा0 दिनांक 06.12.2023 के आलोक सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

07/06/24

उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी,
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2024.06.09 13:09:04 +05:30
Location: fd01::55d7:42e3:343f:e0e6